

द्वितीय अनुपूरक 2014–15 के मुख्य बिन्दु

- द्वितीय अनुपूरक में कुल रु0 2121.42 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसमें आयोजनागत पक्ष में रु0 1217.69 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 903.73 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं हेतु रु0 50 करोड़ की एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।
- भराड़ीसैण (गैरसैण) चमोली में मिनी सचिवालय के लिए रु0 3 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण/ उन्नयन, इंडिया रिजर्व वाहिनी तथा जेलों के सुदृढीकरण सहित कुल रु0 74.21 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण कार्य हेतु कारपस फण्ड के लिए रु0 1 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 99.63 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- देहरादून एवं नैनीताल में कार्डियक एम्बुलेंस के लिए रु0 90 लाख की व्यवस्था की गयी है।

- आशा कार्यकर्त्रियों को वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किये जाने हेतु रु0 11.07 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़, गोपश्वर, सिमली (चमोली), बागेश्वर एवं सामेश्वर के अन्तर्गत कुल रु0 5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- 100 शैय्यायुक्त ट्यूनी चिकित्सालय के लिए रु0 1 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, नर्सिंग स्कूलन व नर्सिंग कालेज हेतु रु0 31 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- आपदा-2013 के दृष्टिगत जल मूल्य माफ हेतु रु0 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- गंगा एवं सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं सीवरेज आदि हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं एवं राज्यस्तरीय विकास प्राधिकरण तथा जलोत्सारण योजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

- रानीखेत के अन्तर्गत बिल्लेख पम्पिंग योजना, कालू गधेरा होम फार्म से मिनी नलकूप का निर्माण, बुदीना पानी आर्मी सप्लाई डिपो में मिनी नल कूप तथा रानी झील में मिनी नलकूपों का निर्माण आदि सहित पेयजल सेक्टर में कुल रु0 101.67 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना हेतु रु0 2 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना हेतु रु0 15.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउण्डेशन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- सहकारी सहभागिता के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 के परिवारों को दिये गये ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- राठ विकास अभिकरण हेतु रु0 1 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रु0 161.09 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति योजना सहित कुल रु0 323 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- शीतकालीन चारधाम यात्रा हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- हमारा पेड़ हमारा धन योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- हल्द्वानी में 'जू' निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी हैं
- हल्द्वानी में आई0एस0बी0टी0 निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रु0 126205 हजार की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य में मसाला की खेती योजना, एंटीहेलनैट हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।